


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4011 के बिन्दु (ग) की जानकारी

महालेखाकार ग्वालियर द्वारा जनवरी 2013 से जून 2013 तक के अंकेक्षण में चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर/जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में हुए मेरोपेनम क्य के संबंध में गंभी वित्तीय अनियमितता पाई गई है, मेरोपेनम इंजेक्शन के क्य में 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान होना पाया गया है। इस संबंध में माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष जांच प्रकरण क्रमांक 270/2013 शिकायत विरुद्ध जयारोग्य अस्पताल समूह ग्वालियर लंबित है। इस अवधि हेतु निम्नांकित को आदेश क्रमांक एफ 13-07/2014/1-55 दिनांक 13.10.2015 द्वारा आरोप- पत्र जारी किए गए हैं:-

1. डॉ.एस.एन. आयंगर, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग तत्कालीन संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर।
2. डॉ. योगेन्द्र प्रधान, रजिस्ट्रार, न्यूरोलॉजी विभाग गजाराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मेडिसिन स्टोर जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
3. श्री एस.आर.मौर्य, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी, जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
4. श्री रविन्द्र सिंह तोमर लेखापाल कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
5. श्री अंकित कुलश्रेष्ठ सहायक वर्ग-3 कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
6. श्री अतुल दुबे, सहायक क्य लिपिक, कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
7. श्री आनंद भदौरिया, फार्मासिस्ट/स्टोर कीपर तत्कालीन प्रभारी मेडिसिन स्टोर जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
8. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन क्य लिपिक, कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।
9. श्रीमती शिल्पा चोंच, सेवानिवृत्त, तत्कालीन क्य लिपिक, कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जे.ए.एच. समूह ग्वालियर। (मंत्रि-परिषद से दिनांक 23.11.2015 को आदेश प्राप्त कर आरोप पत्र जारी किये गए हैं।)
10. श्री मनोज सक्सेना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जे.ए.एच. समूह ग्वालियर।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश